

पूर्वास्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ह.मि.डि.डि-4-4

म.म.म. - 44 / 2018

क. 2 / 171 / 1 / भाग-2/IV

दिनांक 4-05-2018

म.म.म. / महाप्रबन्धक
म.म.म. / अपर महाप्रबन्धक
म.म.म. / निदेशाध्यक्ष
म.म.म. / सहायक रेल प्रबन्धक
म.म.म. / कार्मिक अधिकारी
म.म.म. / मुख्य कारखाना प्रबन्धक
म.म.म. / माली/रेल मण्डलाधिकारी / स्थापना
म.म.म. / रेलवे।

विषय-रेल अ.म.म.म. / डिसेन्सरियों ने कुछ लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं
देकर कर्मों के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2003/एच-1/2/2 दिनांक 20.04.2018 को अंग्रेजी
में भेजा गया था। लाभार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलान कर ज्ञापित की जा रही

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 27.05.2018 इस कार्यालय के सनसखत
तथा दिनांक 23.05.2018 (क्रमांक-09/2018) द्वारा पूर्व से परिचालित किया जा चुका है।

म.म.म. / म.म.म.

(अ.म.म.म.म.)
सहायक / मुख्य
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

- परिचालित भेजने को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापित -
- 1- म.म.म.म. / एच.ई.रेलवे मजदूर यूनिट / गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
 - 2- म.म.म.म. / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूरवे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
 - 3- म.म.म.म. / रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन / पूरवे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
 - 4- पूर्वोक्त रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर - 01 प्रति में।
 - 5- म.म.म.म. / एम.टी. / एम.टी. एवं ओबीसी एडमिनिस्ट्रेशन / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
 - 6- म.म.म.म. / एम.टी. को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

सं. No. 2003/11-1/2/2

नई दिल्ली, New Delhi, दिनांक dated 04.2018

The Principal Chief Medical Directors/Officers/Supdts.,
All Indian Railways/Production Units

Sub: Calculation of per capita charges for providing Medical Facilities
to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries.

Ref: Board's letter of even no, dated 27.05.2016.

A proposal for condonation of payment of revised per capita charges for providing medical facilities to certain beneficiaries in Railway Hospitals/Dispensaries for the financial year 2004-05 to 2013-14 on the basis of Federations' representation (AIRP/NFIR) is under consideration in consultation with Finance Directorate in Board's office.

In this regard, please furnish the financial amount to be condoned for the above mentioned financial year.

The information sought above may be sent at the earliest. The same may be uploaded in eudms and sent by post also.

H. K. Sanhotra

(जीनली रं. के. सन्होत्रा/Mrs. H. K. Sanhotra)

संयुक्त निदेशक-II, स्वा. /Jt. Director-II/Health

रेलवे बोर्ड/ Railway Board.

सं. No. 2003/11-1/2/2

नई दिल्ली, New Delhi, दिनांक dated 04.2018

Copy for information & necessary action to:

1. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chemsford Road, New Delhi-110055 in reference to his letter no. IV/NFIR/RB-21/78 dated 21.02.2018

1.5.18
05/05/18
1.5.18